झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/34/17 - 57 ,राँची/दिनांकः 09/06/2017

बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 (**B.Sc. Community Health Entrance Competitive Examination – 2017**) के आयोजन से संबंधित सूचना

....

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक लो0स्वा0सं0/नि0/15–16/162 (1PH) दिनांक 08.06.2017 के आलोक में लोक स्वास्थ्य संस्थान, नामकुम, राँची एवं परिवार कल्याण केन्द्र, हजारीबाग में बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में प्रवेश हेतु वैसे आवेदकों से, जो भारत के नागरिक होने के साथ–साथ झारखण्ड के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं (संदर्भः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का॰ – 3198, दिनांक 18.04.2016) और निम्न अहर्त्ता धारित करते हैं, ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. पाठ्यक्रम की अवधिः– 3 वर्ष 6 माह

3. आयु सीमा :– completed age of 17 years at the time of admission or will complete the age on or before 31st December of the year of his/her admission.

4. शैक्षणिक योग्यताः–

Eligibility Criteria for B.Sc.CH

The candidate must have passed I.Sc./ 10+2 or equivalent examination with the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology at the qualifying examination. In respect of candidates belonging to reserve category, the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination be 40% instead of 50% for General Candidates.

5. **आवेदन की प्रक्रियाः**– आवेदक पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in या वेबसाईट http://jceceb.nic.in के Homepage पर "Online Application Form Submission for Admission in B.Sc. CH 2017" बटन पर Click कर, दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए **दिनांक 10.06.2017 से दिनांक 03.07.2017 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते है।** ऑनलाईन आवेदन करते समय बारहवीं (12वीं) कक्षा का अंक पत्र तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साईज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए; हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ के अंगूठे का निशान तैयार रखें। ऑनलाईन आवेदन करने पर उसका प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है।

6. **परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा की तिथिः**– यह परीक्षा राँची शहर स्थित विभिन्न निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 16..07.2017 को आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र एवं अन्य संबंधित सूचना, ऑनलाईन प्रवेश पत्र (Online Admit Card) में अंकित रहेगी। आवेदकों को पर्षद के वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड (Download) की सुविधा परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।

7. परीक्षा शुल्कः– आवेदकों को परीक्षा शुल्क Payment Gateway के माध्यम से Credit Card/Debit Card/Net Banking के द्वारा निम्न प्रकार

क्रम सं0	कोटि	दर
1.	सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II	₹ 900/–
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सभी कोटि की महिला	₹ 450/–
परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (non refundable) होगा। परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा।		

8. परीक्षा का स्तर एवं प्रकारः– प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) तथा 150 अंकों की होगी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, 10+2 स्तरीय, प्रत्येक 50 अंकों की होगी। सभी विषयों के प्रश्न अँग्रेजी एवं हिन्दी में उपलब्ध रहेंगे।

9. मेधा सूचीः– मेधा सूची का निर्माण विभिन्न विषयों में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में जीव विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी, जीव विज्ञान में भी समान अंक रहने पर रसायन विज्ञान में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दिया जायेगा, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में भौतिक विज्ञान में अधिक अंक पाने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी, उसके बाद भी समान अंक रहने पर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। यह भी स्थिति समान होने पर उनके नाम के प्रथम् अंग्रेजी अक्षरों के वर्णानुक्रम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

10. आरक्षणः– राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) कोटि के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

11. मुद्रण की अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

(दिलीप कुमार झा, भा॰प्र॰से॰)
परीक्षा नियंत्रक